

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांक :- एफ.1(8)सामान्य/सान्याअवि/2021/50603

जयपुर, दिनांक :- 28.10.2021

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 50257 दिनांक 26.10.2021 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है। उपनिदेशक/सहायक निदेशक कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला है। अतः जिले की किसी भी पंचायत का दौरा करके निरीक्षण की रिपोर्ट सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

दौरे/निरीक्षण हेतु आवंटित क्षेत्र के समस्त अधिकारीगण को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने से पूर्व अपनी आई.डी. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर मेपिंग करना सुनिश्चित करें।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2021/50604-13 जयपुर, दिनांक :- 28.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधि.विभाग।
6. संयुक्त निदेशक, आई.टी. मुख्यावास।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी मुख्यावास।
8. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
9. संबंधित BSSO/P.O. ....।
10. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)